4/9/25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वहक मुनी 1 से 7 पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर नामांतरण नियम 66 दिनांक 3.2.72 अधिनियम का लाभ कुकरानी आदिवासी है। वहक मूल दस्तावेज जैसे राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेन्शन पत्र, जन्मआधार कार्ड, बैंक की पासबुक आदि से 1966 तक आदिवासी अंकित है। नामांतरण नियम 66 दिनांक 3.2.72 तहत पंजीयन कराया जाना है। तहसीलदार करौली को निर्देश दिये जाते हैं कि सही वारिसान की जांच कर नामांतरण कर लिख जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नकल दिनांक 17.10.25 को अदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:35:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)